सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.08.2023

धोखाधडी कर भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात व नगदी लेकर फरार हो जाने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 16.08.2023 को थाना को0 नगर में वादी हरिपाल सिंह पुत्र देव नारायण सिंह नि0 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर में सूचना दी की विपक्षी शिवानन्द सोनी मेरे व निम्न ज्वेलर्स के साथ सोने व चांदी के सामान का क्रय विक्रय किया करते थे। दिनांक 31.07.2023 को विपक्षी शिवानन्द सोनी धोखाधड़ी कर मेरे गुंजन ज्वेलर्स व निम्न ज्वेलर्स (प्रकाश ज्वेलर्स, शत्रोहन ज्वेलर्स, मॉ वैष्णो ज्वेलर्स, शुभम ज्वेलर्स, कृष्णा ज्वेलर्स) आदि के साथ कुल 10,040,00 रूपयों, 04 किलो ग्राम चांदी व 484.5038 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए है। सूचना पर थाना को0नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। सूचना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने आरोपी अभियुक्तो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 को0 नगर को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सुरागरसी–पतारसी कर घटना कारित करने वाले सोनू उर्फ शिवानन्द व सहयोगी सुरेन्द्र सोनी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 218 ग्राम पीली धातु, 762 ग्राम सफेद धातु के जेवर व 1,55200 रूपयें बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सोनू उर्फ शिवानन्द सोनी पुत्र भगवती नि0 बदवलिया पण्डरी कृपाल थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. सुरेन्द्र सोनी पुत्र स्व0 ईश्वर चन्द्र सोनी नि0 मुजेहना थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–710/23, धारा 420,406,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 218 ग्राम पीली धातु।
02. 762 ग्राम सफेद धातु।
03. 1,55200 रूपये बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.08.2023

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त–मुन्नाराम लोध को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. मुन्ना राम लोध पुत्र कैलाश लोध नि0 ग्राम घौपतपुर बसन्तपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–365/23, धारा 363,366 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
उ0नि0 राजन सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.08.2023

मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी अभियुक्त–छोटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 21.08.2023 की रात्रि जिला अस्पताल गोण्डा से उक्त मोटरसाईकिल चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी नीरज पुत्र भगवान गिरी नि0 ग्राम महादेव थाना को0 नगर द्वारा थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. छोटू पुत्र बबलू खां नि0 पेरी गांव झझरी ब्लॉक पूरे शिवा बख्तावर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–741/23, धारा 379,411 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल पैशन प्रो।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 01 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 01 साल की सजा व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस ने दिनांक 28.07.2021 को 300 नशीली टेबलेट के साथ अभियुक्त सतीश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार दीन बन्धु दुबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-6 कोर्ट गोण्डा ने 01 अवधि की सजा व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. सतीश कुमार पुत्र सुन्दरलाल नि0 कादीपुर लालापुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 278/21, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.08.2023

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गोण्डा अयोध्या मार्ग दयानन्द इण्टर कालेज टिकरी मोड के पास से अभियुक्त विकास मिश्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—
01. विकास मिश्र पुत्र गौरी शंकर नि0 ग्राम गोरथानिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—
01. मु0अ0सं0—101/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—
01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 12बोर।
02. 01 अदद मोटसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता—
01. उ0नि0 बृजेश कुमार मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.08.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना परसपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. ननके गुप्ता पुत्र स्व0 मिश्री गुप्ता नि0 ग्राम शाहपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–380/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।